न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 01 / 2021 / बीकानेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. श्रीमती उगम कंवर पुत्री स्व. श्री सुरजनसिंह पत्नी श्रीसतपालसिंह जाति राजपूत उम्र 64 वर्ष निवासी पंचपीठ की ढाणी तहसील कोलायत हाल गगरियासर, झुंझुनू	1. खीवसिंह पुत्र सुरजनसिंह 2. हडमानसिंह पुत्र स्व.मघसिंह 3. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व.मघसिंह 4. राजुसिंह पुत्र स्व.मघसिंह 5. नखतसिंह पुत्र स्व.मघसिंह 6. खेतसिंह पुत्र स्व.मघसिंह 7. पदमकंवर पत्नी स्व.मघसिंह जाति राजपूत निवासी जैतुगो की ढाणी तहसील कोलायत जिला बीकानेर 8. स्टैट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर, मुकाम कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1.वकील श्री राधाकिशन स्वामी अपीलान्ट की ओर से।
2.वकील श्री हरिराम बिश्नोई रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 24.06.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंटस 01 ता 06 एक ही परिवार के सदस्य है अपीलांट का रेस्पोडेंट संख्या 1 सगा भाई व शेष रेस्पोडेंट अपीलांट के सगे भतीजे है तथा रेस्पोडेंट संख्या 7 अपीलांट की भाभी है जो सह खातेदार काश्तकार होने के कारण पक्षकार बनाये गये है। अपीलांट की नौरेसी की भूमि जो वाके गांव सोलंकियो की ढाणी उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत की रोही में खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 501 मीन तादादी 305 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 656 मीन तादादी 40 बीघा 18 बिस्वा कुल दो खसरों में 346 बीघा 6 बिस्वा संयुक्त जोत की खातेदारी भूमि है जिसमें अपीलांट का 1 / 4 हिस्सा अर्थात 86 बीघा 12 बिस्वा भूमि आती है जो अपीलांट व रेस्पोडेंट की पुश्तैनी भूमि है जिसमें अपीलांट का जन्म से हक व हिस्सा निहीत है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद है। एक अन्य खेत की भूमि जो उपनिवेशन तहसील गजनेर लिफ्ट मु0 कोलायत के चक 3 के.एच.डी. मुरब्बा संख्या 221 / 2 / 9 में किला नम्बर 1 ता 25 में 22 बीघा 13 बिस्वा कमाण्ड व मुरब्बा संख्या 221 / 2 / 10 में किला

नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड, मुरब्बा संख्या 221/2/11 में किला नम्बर 1 ता 19 व 23 ता 25 में 22 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा संख्या 221/2/13 में किला नम्बर 1 ता 4 व 6 ता 10 में 6 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड व किला नम्बर 11 ता 15 व 17 ता 24 में 13 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा संख्या 221/2/5 में किला नम्बर 3 ता 8 व 13 ता 18 व 23 ता 25 में 14 बीघा 3 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड व मुरब्बा संख्या 221/2/6 में किला नम्बर 4 ता 7 व 14 ता 17 व 24, 25 में 10 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 221/2/14 में किला नम्बर 1 ता 4 व 7 ता 13 व 18 ता 23 में 17 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 221/2/7 में किला नम्बर 5 में 1 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 221/2/12 में किला नम्बर 3 व 4 में 2 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा संख्या 221/2/15 में किला नम्बर 1 ता 3 व 9 ता 12 व 20 में 8 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 141 बीघा 6 बिस्वा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमि है जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा अर्थात 35 बीघा 7 बिस्वा भूमि की वादीनी खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आराजी अपीलांटस की पैतृक संपति है। अपीलांट के अनपढ होने का बेजा फायदा उठाने की गरज से रेस्पोडेंट जो वर्तमान समय में खेती की भूमियों की कीमते बढ़ जाने के कारण लालच वश अपीलांट जो रेस्पोडेंट संख्या 01 की सगी बहन है तथा शेष रेसपोडेंट की भुआ है आराजी मुतनाजा की भूमि हड़पने की गरज से रेसपोडेंट एकराय होकर षड़यन्त्र रचकर अपीलांट को भूमि के बंटवारा करने का कह कर तहसील कार्यालय में लाए लेकिन बंटवारा के स्थान पर दिनांक 21.01.2021 को उपपंजीयक कार्यालय कोलायत में ले जाकर तथाकथित दस्तावेज रिलिजडीड रेसपोडेंट संख्या 1 ता 6 ने अपने हक में निष्पादित करवा ली जो अपीलांट के साथ छल व कपटपूर्ण आशय से अपीलांट को धोखा देकर बिना किसी प्रकार के प्रतिफल दिये उक्त भूमि को अपने नाम से करवाली जो रिलिजडीड अपीलांट की स्वतंत्र सहमति नहीं होने के कारण अपीलांट के हक व अधिकारों पर बातिल व बेअसर है जिसे अपीलांट कानूनन निरस्त करवाने की घोषणा करवाने की

अधिकारी है इसी आशय से हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत के समक्ष पेश किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांटस के साथ किये गये छल व कपट के विरूद्ध अपीलांट ने एक एफ. आई. आर. संख्या 29 दिनांक 01.02.2021 को कोलायत थाना में अन्तर्गत धारा 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज करवा दी गई है जिसमें अनुसंधान जारी है। रेस्पोडेंटस येनकेन प्रकारेण आराजी मुतनाजा की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है वह अपने मकसद में कामयाब हो गए तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात होगा। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण का मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना केवल मात्र निर्णय की औपचारिकता पूर्ण करते हुए तथा जल्दबाजी में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रार्थना–पत्र मे आदेश पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नही किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि उतरदातागण रिकॉर्डेड खातेदार है जिनके विरूद्ध इंजेक्शन जारी किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलांटस द्वारा दिनांक 21.01.2021 को उपपंजीयक कोलायत में पुस्तक संख्या 2 जिल्द संख्या 420 पृष्ठ संख्या 1 से 6 तक के पक्ष में रिलिज डिड (हक त्याग–पत्र) किया जा चुका है जिस कारण उक्त भूमि बाबत अपीलांट के हक समाप्त हो चुके है। अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेंटस के विरूद्ध छल कपट को लेकर पुलिस थाना कोलायत में एफ.आई.आर. संख्या 29 दिनांक 01.02.2021 दर्ज करवाई गई जिसमें अनुसंधान जारी है इस बात को अपीलांटस अधिवक्ता स्वयं स्वीकार कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णत पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वाके गांव सोलंकियो की ढाणी

उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत की रोही में खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 501 मीन तादादी 305 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 656 मीन तादादी 40 बीघा 18 बिस्वा कुल दो खसरों में 346 बीघा 6 बिस्वा संयुक्त जोत की खातेदारी भूमि है जिसमें अपीलांट उगम कंवर का 1/4 हिस्सा अर्थात **86 बीघा 12 बिस्वा** भूमि आती है जो अपीलांट व रेस्पोडेंट की पुश्तैनी भूमि है जिसमें अपीलांट का जन्म से हक व हिस्सा निहीत है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद है। एक अन्य खेत की भूमि जो उपनिवेशन तहसील गजनेर लिफ्ट मु0 कोलायत के चक 3 के.एच.डी. मुरब्बा संख्या 221/2/9 में किला नम्बर 1 ता 25 में 22 बीघा 13 बिस्वा कमाण्ड व मुरब्बा संख्या 221/2/10 में किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड, मुरब्बा संख्या 221/2/11 में किला नम्बर 1 ता 19 व 23 ता 25 में 22 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा संख्या 221/2/13 में किला नम्बर 1 ता 4 व 6 ता 10 में 6 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड व किला नम्बर 11 ता 15 व 17 ता 24 में 13 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा संख्या 221/2/5 में किला नम्बर 3 ता 8 व 13 ता 18 व 23 ता 25 में 14 बीघा 3 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड व मुरब्बा संख्या 221/2/6 में किला नम्बर 4 ता 7 व 14 ता 17 व 24, 25 में 10 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 221/2/14 में किला नम्बर 1 ता 4 व 7 ता 13 व 18 ता 23 में 17 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 221/2/7 में किला नम्बर 5 में 1 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 221/2/12 में किला नम्बर 3 व 4 में 2 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा संख्या 221/2/15 में किला नम्बर 1 ता 3 व 9 ता 12 व 20 में 8 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 141 बीघा 6 बिस्वा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमि है जिसमें अपीलांट उगमकंवर का 1/4 हिस्सा अर्थात **35 बीघा 7 बिस्वा** भूमि की वादीनी खातेदार काश्तकार है। अपीलांट उगम कंवर द्वारा दिनांक 21.01.2021 को उपपंजीयक कोलायत में पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 420 पृष्ठ सं0 101 क्रसं0 20210323810012 द्वारा रेस्पोडेन्टान 1 ता 6 के पक्ष मे रिलिज डिड (हक त्याग-पत्र) किया जा चुका है जिस कारण उक्त भूमि बाबत अपीलांट उगम कंवर के हक समाप्त हो चुके है। रिलिज डिड (हक त्याग-पत्र) की छायाप्रति पत्रावली के संलग्न है। जहां तक छल कपट का विषय है उस संबंध में एफ.आई.आर. संख्या 29 दिनांक 01.02.2021 पुलिस थाना कोलायत में भा.द.स. 406, 420 के तहत मुकदमा दर्ज है जिसमें अनुसंधान जारी है।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत के द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील अस्वीकार की जाती है। यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन
एवं राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर